संख्या- पी-52/14-2-2015-800(106)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 30, अक्टूबर , 2015

विषय- विद्युत निर्माण खण्ड (चतुर्थ) लेसा द्वारा जनपद लखनऊ में एस0एच0-25(लखनऊ-पलिया) के किमी0 260.40 से 264.20 तक कुल 3.8 किमी0 में 33/11 के0वी0उपकेन्द राधा ग्राम हेतु 33 के0वी0भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-623/11-सी-12969/2015, दिनांक 15-9-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ0एन0 संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 21-8-2014 एवं पत्र दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत विद्युत निर्माण खण्ड (चतुर्थ) लेसा द्वारा जनपद लखनऊ में एस0एच0-25(लखनऊ-पलिया) के किमी0 260.40 से 264.20 तक कुल 3.8 किमी0 में 33/11 के0वी0उपकेन्द राधा ग्राम हेतु 33 के0वी0भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.168 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है:-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या -एस0बी0-25230, कापोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

(22) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 7-25/2012- एफ सी, दिनांक 05 मई, 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने भू स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-52 (1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
2- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत निर्माण खण्ड (चतुर्थ) लेसा म0वि0वि0नि0लि0,33/11के0वी0सब स्टेशन (पटेल पार्क) निरालानगर, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

BSingh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)